न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,लखीमपुर–खीरी।

प्रकीर्ण वाद संख्या–960 / 22

नन्दराम बनाम लल्लू आदि

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 156(3)दं0प्र0सं0

13–9–2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अं0धारा–156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी के पिता कल्लू ने अपनी एक विधवा महिला सुखरानी से शादी करने के बाद सुखरानी ने अपना नाम हेमा रख लिया था। हेमा के पूर्व पति का नाम पुत्तू था। पुत्तू का एक पुत्र जो विपक्षी सं0–1 है पुत्तू की समस्त चल अचल सम्पतित जरिये वरासत विपक्षी सं0–1 को प्राप्त हुई। पिता कल्लू की शादी के बाद कल्लू के दो पुत्र क्रमशः नन्दराम व गंगाराम का जन्म हुआ। प्रार्थी के पिता की मृत्यु प्रार्थी व उसके भाई गंगाराम की किशोरावास्था में हो गयी थी। उस समय विपक्षी सं0–1 ने अपने को प्रार्थी के पिता कल्लू का पुत्र बताते हुए प्रार्थी के पिता की चल अचल सम्पत्ति में भी जरिये वरासतन हिस्सा ले लिया। प्रार्थी की मॉ हेमा ने सन् 2021 में अपनी मृत्यु के पूर्व प्रार्थी को बताया तो खोजबीन शुरू की जिससे पता चला कि विपक्षी सं0–1 ने बेईमानी पूर्वक प्रार्थी व उसके भाई गंगाराम के साथ धोखाधड़ी करके अपने प्रपत्रों में अपने पिता का नाम लल्लू दर्ज करवा लिया है। ग्राम खालेपुरवा जिला खीरी में भूमि गाटा संख्या 48 रकबा 1.1410 हे0 विपक्षी सं0–1 के पिता का नाम पुत्तू दर्ज है। ग्राम खालेपुरवा में अपने को पुत्तू का पुत्र होने के नाते चल अचल सम्पत्ति प्राप्त की तथा ग्राम बढ़इनपुरवा तहसील लखीमपुर में अपने को लल्लू का पुत्र बताते हुए चल अचल सम्पत्ति में गलत तरीके से हिस्सा प्राप्त कर लिया है । उक्त प्रकरण पर प्रार्थी ने विपक्षी सं0–1 से बात की तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि यदि इस प्रकरण की कहीं चर्चा या कार्यवाही की तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को फर्जी मुकदमें में फंसावा देगें। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में थाने मे प्रार्थना–पत्र दिया, कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक खीरी को प्रार्थना–पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, व पुलिस अधीक्षक,को दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद,जनता द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की प्रति व उद्धरण खतौनी की प्रति प्रस्तुत किया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के बावत थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र में कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने अपने पिता का नाम कल्लू दर्ज करवा कर प्रार्थी व उसके भाई का गलत तरीके से हिस्सा प्राप्त कर लिया है। मामले के समस्त तथ्य प्रार्थी के संज्ञान में है, जिसे प्रार्थी साक्ष्य के माध्यम से स्वयं सिद्ध कर सकता है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की सम्भावना नहीं है। **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0 सी0 सी0 2007 (59) पेज 739** में दी गयी विधि व्यवस्था के प्रकाश में मामले को परिवाद के रूप में चलाया जाना उचित होगा। प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 संहिता परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते बयान धारा 200 दं0प्र0 संहिता दिनांक 13–10–2022 को पेश हो। पत्रावली सक्षम न्यायालय में अन्तरित की जाय।

(चिन्ताराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर– खीरी।